Witness No **02** for **अभियोजन साक्षी** Deposition taken

the **14.11.2019** day of Witness's apparent age **17 वर्ष**

States on affirmation **शपथ पूर्वक** my name is **विकासदास**

son of **अजय कुमार दास** occupation **बाजा पार्टी**

address **सतनामी बस्ती, सरकारी कुआं के पास तेलीबांधा, रायपुर छ0ग0**

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री अरविंद सिंह चिमा अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. आहत लालाराम बांधे एवं न्यायालय उपस्थित आरोपी जीवनलाल बंजारे को जानता पहचानता हूं।

02. आज से करीब 3–4 महिना पहले सुबह करीब 11 बजे मोहल्ले में अपने घर के पास मै, सतीश, इंद्रदेव बंजारे और न्यायालय उपस्थित आरोपी बैठे थे, उसी समय लालाराम अपने मामा के साथ आया तो आरोपी के साथ कुछ–कुछ बात हुआ। मै कुछ दूर में होने के कारण बातचीत को नहीं सुन पाया और वहां से चला गया था। बाद में पुलिस वाले आये और पुछताछ के लिए हमें थाना ले गये थे तब मुझे पता चला कि वहां पर चाकूबाजी हुआ है। मोहल्ले के लड़के लोगों के बताने पर जानकारी हुई थी कि आहत लालाराम के पेट में चाकू लगा है और ईलाज हो रहा है। पुलिसवाले मुझसे पुछताछ किये थे तब भी मै आज जितना बताया हूं उतनी बातें बताया था। आहत के साथ घटित किसी घ ाटना की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

नोटः– इसी स्तर पर साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किये जाने के आधार पर अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को प्रतिकूल घोषित कर प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही। विचार बाद अनुमति दी गयी।

03. यह कहना गलत है कि जिस समय हमलोग घर के पास बैठने की बातें बताया हूं उसी समय आहत लालाराम अपने मामा राकेश बंजारे के साथ आ रहा था जिसे देखकर आरोपी लालाराम से गाली गलौच किया था। यह कहना गलत है कि लालाराम और उसका मामा आरोपी को समझाते हुए कहे कि लड़की के चक्कर में मत पड़ा कर इतने पर आक्रोशित होकर आरोपी ने अपने हाथ में रखे चाकू को निकालकर उस चाकू से लालाराम के पेट में उसकी हत्या करने की नीयत से मारा था। यह कहना गलत है कि प्रपी–2 का

कथन देते समय उसमें वर्णित अ से अ भाग ''मै तेलीबांधा में ..... थाना तेलीबांधा में किया है'' कथन दिया था।

04. यह कहना गलत है कि लाला बंजारे की हत्या करने की नीयत से उसे चाकू मारकर आरोपी गली तरफ भाग गया था, उसके बाद लालाराम को तुरंत अस्पताल हमारे सामने ले जाया गया था। यह कहना गलत है कि घटना मेरे सामने ही हुई थी और मै आरोपी के प्रभाव में प्रलोभन में आकर उसे बचाने के लिए आज सहीं बातें नहीं बता रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री बी0के0सिन्हा अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

05. कुछ नहीं।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर .....